# पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: aff@shekhauni.ac.in

क्रमांक: 36554

दिनांक: 30/12/2025

## कार्यालय आदेश

सक्षम स्तर के अनुमोदनोंपरांत दिनांक 15.12.2025 को आयोजित निरीक्षण मण्डल (BOI) की बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना में, निम्नलिखित आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते हैं:–

**अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) एवं शपथ पत्र:** ऐसे महाविद्यालय जिन्हें वर्तमान सत्र 2025–26 हेतु राज्य सरकार से NOC प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें रूपये 100/– के नॉन–ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करना होगा। इसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि महाविद्यालय शीघ्र ही राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त कर विश्वविद्यालय में जमा करा देगा। इस आधार पर महाविद्यालय को केवल वर्तमान सत्र (2025–26) के परीक्षा आवेदन फॉर्म भरवाने की अनुमति दी जाती है।

**विलम्ब शुल्क (Penalty):** यदि महाविद्यालय द्वारा दिनांक 28.02.2026 तक राज्य सरकार से सत्र 2025–26 के लिए NOC प्राप्त कर विश्वविद्यालय में जमा नहीं कराई जाती है, तो संबंधित महाविद्यालय पर संबद्धता शुल्क के अतिरिक्त रूपये 50,000/– का अर्थदंड (Penalty) आरोपित किया जाएगा।

**भूमि संपरिवर्तन आदेश:** जिन महाविद्यालयों के पास नियमानुसार भूमि संपरिवर्तन आदेश उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें आगामी सत्र 2026–27 की संबद्धता हेतु आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व इसकी प्रति विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। ऐसा न करने की स्थिति में महाविद्यालय पर रूपये 1,00,000/– का अर्थदंड (Penalty) लगाया जाएगा।

**अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत नहीं करने वाले महाविद्यालय:** ऐसे महाविद्यालय जिनके पास राज्य सरकार द्वारा जारी NOC की वैधता समाप्त हुए एक सत्र से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, उन्हें सत्र 2025–26 के परीक्षा आवेदन फॉर्म भरवाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

कुलसचिव

क्रमांक:– 36555-560

दिनांक:

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, कुलगुरू, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
2. परीक्षा नियंत्रक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
3. लेखा एवं वित्त शाखा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
4. शैक्षणिक शाखा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
5. संस्थापन शाखा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
6. समस्त निजी महाविद्यालय, जिला सीकर एवं झुन्झुनू।
7. रक्षित पत्रावली।

कुलसचिव